यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर** के माह 10/2017 से माह 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अंशुमन अग्रवाल, श्री गोविन्द कुमार सिंह एव श्री निखील गोस्वामी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.02.2019 से 02.03.2019 तक श्री संदीप गर्ग, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.10.2017 से 02.11.2017 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2015 से 09/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2017 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः वनों का संरक्षण एवं संवर्धन ऊखीमठ, नागनाथ, गोपेश्वर, धनपुर, लोट्वा।

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	257.96
2016-17	99.62
2017-18	57.41
2018-19	43.95

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थपना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य (+)₹**	**आधिक्य (-)₹**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	-	77.25	77.25	1149.77	1106.94	-	-
2016-17	-	-	14.72	14.72	922.31	909.19	-	-
2017-18	-	-	30.32	30.32	995.90	925.26	-	-
2018-19	-	-	4.81	5.81	771.94	673.82	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत(-)/ आधिक्य (+)**
2015-16	प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत एस.पी.ए/एस.सी.ए (आपदा 2013)	0.000	392.220	100.220	292.000
	इन्टीग्रेटिड डेवलपमेन्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेड 25 ल.नि.	6.500	10.780	10.040	6.500
	राष्ट्रिय वन रोपण कार्यक्रम (ग्रीन इण्डिया मिशन एवं वन प्रबन्धन)	0.00	21.08	20.95	0.130
2016-17	विपत्तियों के कारण राहत एस.पी.ए/एस.सी.ए (आपदा 2013)	292.00	0.000	278.810	13.19
	इन्टीग्रेटिड डेवलपमेन्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेड 25 ल.नि.	6.50	88.06	10.79	79.06
2017-18	प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत एस.पी.ए/एस.सी.ए (आपदा 2013)	13.19	33.500	33.500	13.19
	इन्टीग्रेटिड डेवलपमेन्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेड 25 ल.नि	79.06	0.00	79.06	0
2018-19(UP TO JANUARY)_	प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत एस.पी.ए/एस.सी.ए (आपदा 2013)	13.19	0	6.62	6.57
	इन्टीग्रेटिड डेवलपमेन्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेड 25 ल.नि	0	0	0	0

इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 06/2018 को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह 03/2018 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो .....-.....

का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ..... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व

भाग 2 अ

प्रस्तर-1 प्रभाग की कार्ययोजना तैयार करने में विलंब होने के कारण आरक्षित वनों से लीसा का विदोहन रुकने से राजस्व की हानि।

टी एन गोदावर्मन मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा राष्ट्रीय कार्ययोजना संहिता 2004 के प्रस्तर 92 के अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अभाव में आरक्षित वनों में वन उत्पादों का व्यावसायिक विदोहन प्रतिबंधित है। राष्ट्रीय कार्ययोजना संहिता 2014 का प्रस्तर33 भी इसी बात को रेखांकित करता है एवं निर्दिष्ट करता है कि प्रमुख वन संरक्षक (विभागीय मुखिया) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वनों में सभी कार्य अनुमोदित कार्ययोजना के प्रावधानों के अनुसार ही हो।

प्रभाग की लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रभाग की कार्ययोजना सितंबर 2014 में समाप्त हो गयी एवं कार्ययोजना वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 में नयीकार्ययोजना तैयार/अनुमोदित न होने के कारण उक्त वर्षों में लीसा का विदोहन नहीं हो सका। इससे अनुमानित 1595 कुंतल प्रति वर्ष (विगत तीन वर्षों 2012,2013 एवं 2014 लीसा फसलों के उत्पादन का औसत= 1184.24 कुंतल + 1537.91 कुंतल + 2064.13 कुंतल का औसत= 4786.28 कुंतल / 3 वर्ष = 1595 कुंतल) अर्थात 2015, 2016 एवं 2017 लीसा फसल के लिए कुल 1595X3=4785 कुंतल लीसा का उत्पादन नहीं किया गया। इससे न्यूनतम मूल्य 4500 रुपए प्रति कुंतल (केदारनाथ वन प्रभाग का लीसा बद्रीनाथ वन प्रभाग के लीसा के साथ ही ऋषिकेश डिपो में बिकता है अतः उक्त अवधि में बद्रीनाथ प्रभाग के लीसे की प्राप्त विक्रय दर) के आधार पर उक्त तीन वर्षों में लीसा का विदोहन रुकने से रुपए 2.15 करोड़ का राजस्व (4785 कुंतल X रुपए 4500 प्रति कुंतल) अप्राप्त रहा जिसे समय पर कार्ययोजना बनाकर एवं आरक्षित वनों से लीसाविदोहित करके टाला जा सकता था परंतु ऐसा नहीं किया गया।

इस विषय में इंगित किए जाने पर प्रभागीयवनाधिकारी ने उत्तर दिया कि उक्त वर्षो मेंप्रभाग की कार्ययोजनालागू न होने के कारण आरक्षित वनों में लीसाविदोहन का कार्य नहीं हुआ है। साथ ही,उन्होनेयह भी स्वीकार किया कि उक्त वर्षों में लीसा का विदोहन न किए जाने से उक्त राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई है।

अतः प्रभाग की कार्ययोजना तैयार करने में विलंब होने के कारण आरक्षित वनों से लीसा का विदोहन रुकने से रुपए 2.15 करोड़ के राजस्व के प्राप्त न होने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

राजस्व

भाग 2 ब

प्रस्तर-1 प्रकाष्ठ की रॉयल्टीका अवरोधन।

वन विभाग में प्रचलित नियमों के अनुसार वन विभाग द्वारा वन निगम को दिये गए प्रकाष्ठ की रॉयल्टी की प्रथम किस्त प्रकाष्ठ आवंटन के वित्तीय वर्ष के मार्च माह में, दूसरी किश्त अगले वित्तीय वर्ष के जून माह में एवं तृतीय किश्त सितंबर माह में भुगतान कर देनी चाहिए।

प्रभाग की लेखापरीक्षा (फरवरी 2019) में पाया गया कि वन निगम को वर्ष 2016-17 में आवंटित की गयी 1122.545 घन मीटर प्रकाष्ठ तथा वर्ष 2017-18 में आवंटित की गयी 930.976 घन मीटर प्रकाष्ठ की रॉयल्टी वन निगम से अद्यतन तक प्राप्त नहीं की गयी थी यद्यपि उक्त प्रकाष्ठ की रॉयल्टी अदा करने की अंतिम तिथियाँ (क्रमशः सितंबर 2017 एवं सितंबर 2018) व्यतीत हो चुकी थी। इस कारण से उक्त प्रकाष्ठ की कुल रॉयल्टी ₹ 49.53 लाख[1] का राजस्व निगम के पास अवरोधित था।

उक्त विषय में इंगित किए जाने पर प्रभागीयवनाधिकारी ने स्वीकार किया कि उक्त प्रकाष्ठ की रॉयल्टी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और बताया कि उक्त रॉयल्टी विकास कार्यों (सड़क इत्यादि) के पातन से प्राप्त प्रकाष्ठ से संबन्धित है और निगम के आदेश दिनांक 14.09.2018 के अनुसार उक्त प्रकाष्ठ की रॉयल्टी का भुगतान वन विभाग को नहीं किया जाएगा एवं उक्त प्रकाष्ठ के विक्रय से प्राप्त राशि का 80 प्रतिशत भाग विभाग को भुगतान किया जाएगा।

प्रभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वन निगम के एकतरफा आदेश के द्वारा वन विभाग के नियमों को बदलने का कोई औचित्य नहीं है एवं प्रभाग को उक्त रॉयल्टी की निश्चित समय पर मांग करनी चाहिए थी जो कि नहीं की गयी। साथ ही,प्रभाग को वर्तमान में उक्त प्रकाष्ठ के वन निगम द्वारा विक्रय की स्थिति भी पता नहीं है जिससे कि उक्त प्रकाष्ठ से प्राप्त होने वाले राजस्व के विषय में प्रभाग की उदासीनता परिलक्षित होती है।

अतः ₹ 49.53 लाखके राजस्व का वन निगम के पास अवरोधन का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर-2 विभागीय उदासीनता के कारण सूखे-उखड़े, गिरे वृक्षोंके संग्रहण हेतु वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा मे समुचित प्रयास न किए जाने के फलस्वरूप राजस्व क्षति ।

उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 149(2)(1)/X-3-15 दिनांक 16.2.2015 मे इस तथ्य को इंगित किया गया था कि सूखे-उखड़े, गिरे वृक्षों के निस्तारण हेतु गठित विशेषज्ञ समिति की बैठके नियमित न होने के कारण लम्बे समय तक ऐसे सूखे-उखड़े वृक्षों का निस्तारण नहीं हो पाता, जिससे राजस्व की हानि होती है ।

उक्त शासनादेश के द्वारा आरक्षित वनों मे दीर्घावधि तक सूखे-उखड़े पड़े रहने वाले वृक्षों का निस्तारण कर वन संवर्धन एवं राजस्व वृद्धि किए जाने के संबन्ध मे निर्देशित किया गया था कि वन प्रभाग मे सूखे-उखड़े पड़े रहने वाले वृक्षों का निस्तारण हेतु गठित विशेषज्ञ समिति की बैठक अनिवार्य रूप से प्रत्येक तीन माह मे एक बार अवश्य आयोजित की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वनो मे सूखे-उखड़े वृक्ष अनिस्तारित न रहे ।

प्रभागीय वनाधिकारी,केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,गोपेश्वर (चमोली) की 10 वर्षीय (नियंत्रण वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24तक) चीड़ एवं सहचरी प्रजाति कार्यवृत प्रबन्ध योजना के बिन्दु संख्या 2.6.9.2.1 के अनुसार प्रतिवर्ष कार्यवृत के प्रबंधाधीन क्षेत्रफल(14004.46 है.) के 10% (प्रतिवर्ष 1400$\pm$140 है.) अर्थात कम से कम 1260 है॰ क्षेत्रफल मे सूखे, गिरे वृक्षों का पातन/निष्कासन हेतु निर्देशित किया गया था, जिसमे प्रतिवर्ष 7.52 घ॰ मी॰ प्रति है॰ की दर से प्रकाष्ठ की अनुमानित प्राप्ति किया जाना था । वर्ष 2017-18 मे चीड़ सूखा हेतु दर `1994*3/4=`1495.50 प्रति घ॰ मी॰ निर्धारित की गई थी। इस प्रकार, 1260 है॰ मे उक्त वृक्षों के पातन से कम से कम धनराशि `14170162की प्रतिवर्ष प्राप्ति होनी चाहिए थी । प्रभाग के वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 (माह जनवरी 2019 तक) के प्राकृतिक रूप से रुग्ण तथा सूखे, उखड़े व गिरे वृक्षों की लौटो के अभिलेखों की लेखा परीक्षा मे उक्त वृक्षों से प्राप्त प्रकाष्ठ के विवरणमे पाया गया कि वर्ष 2017-18 मे 304.56 घ. मी.तथा वर्ष 2018-19 मे मात्र एक राजि धनपुर से 118.655 घ. मी. प्रकाष्ठ की प्राप्ति होना दर्शाया गया था । अभिलेखो की आगे जाँच मे पाया गया कि वर्ष 2017-18 मे सूखे-उखड़े, गिरे वृक्षों के निस्तारण हेतु गठित विशेषज्ञ समिति की मात्र एक बैठक हुई, जिसमे मात्र दो राजियों (नागनाथ एवं धनपुर) के उक्त प्रभावित वृक्षों की वन विकास निगम के माध्यम से लॉट बनाकर कटवाने की सहमति प्रदान की गयी थी जिससे कुल 296.472घ.मी. प्रकाष्ठ की प्राप्ति हुई । इस 296.472 घ.मी. प्रकाष्ठ रायल्टी धनराशि ` 4,43,374 का भुगतान वन निगम द्वारा प्रभाग को करदिया गया था ।

इस प्रकार,वर्ष 2017-18 मेनिर्धारित राजस्व के सापेक्ष `13726788 (`14170162-4,43,374) की कम प्राप्ति हुई । वर्ष 2018-19 मे सूखे-उखड़े, गिरे वृक्षों के निस्तारण हेतु गठित विशेषज्ञ समिति कीकोई बैठक नहीं हुई अत: वर्ष 2018-19 मे
राजि धनपुर से 118.655 घ.मी. प्रकाष्ठ का भुगतान प्राप्त होना शेष था । चूकि वर्ष 2018-19 की प्रकाष्ठ रायल्टी दरो का निर्धारण लेखा परीक्षा तिथि तक नहीं हुआ था एवं वन निगम से प्रभाग को रायल्टी तीन किस्तों मार्च 2019,जून 2019 व सितंबर 2019 तक प्राप्त होगी। अत: वर्ष 2018-19 मे निर्धारित राजस्व के सापेक्ष कम राजस्व प्राप्ति की गर्णना नहीं की जा सकी ।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि प्रभाग की राजियों से सूखे-उखड़े, गिरे वृक्षों की सूचना प्राप्त न होने के कारण वृक्षों के पातन का कार्य नहीं किया गया था ।

प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं है, क्योकिशासनादेश दिनांक 16.2.2015 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया जो कि इस सम्बन्ध मे विभागीय उदासीनता को परिलक्षित करता है । अत: प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है ।

(राजस्व)
STAN

प्रस्तर-1 जमानत जमा न जमा कराया जाना ₹ 0.795 लाख।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के जमानत जमा से संबन्धित प्राप्त सूचना की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बकाया जमानत धनराशि जमा नहीं की गयी है।

क्रमसंख्या	**नाम**	**पदनाम**	**निर्धारित धनराशि**	**जमाधन राशि**	**अवशेष धनराशि**
1.	श्री विजय लाल	वन क्षेत्राधिकारी	40000	20000	20000
2.	श्री ललित मोहन नेगी	वन क्षेत्राधिकारी	40000	0	40000
3.	श्रीआनंद सिंह राणा	प्रशासनिक अधिकारी	6000	5000	1000
4.	श्रीअंकित कुमार	सर्वेयर	4000	0	4000
5.	श्रीरंजीत सिंह नेगी	वन दरोगा	8000	4000	4000
6.	श्रीमनवर सिंह नेगी	वन दरोगा	8000	6000	2000
7.	श्रीहनुमंत सिंह बिष्ट	वन आरक्षी	4000	0	4000
8.	श्री चंद्रमोहन	वन आरक्षी	4000	0	4000
9.	श्रीमती पुष्पा सती	अर्दली	1000	500	500
				योग	**79,500/-**

लेखापरीक्षाद्वाराइंगितकिएजानेपरविभागद्वाराजमानतजमाप्राप्तकरलेखापरीक्षाकोसूचितकिएजाने काआस्वासनदियागयाहै।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय से संबन्धित

भाग - दो ब

प्रस्तर-2 वन पंचायतों से र 4.5 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा कोषागार मद में वनो की अग्नि से सुरक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में विभिन्न वन पचायतों को रूपय 4.5 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गयी थी।लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया की उक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्तमान में प्रभाग में उपलब्ध नहीं है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग ने अवगत कराया की संबन्धित वन पंचायतों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए है। वन पंचायतों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे है प्राप्त होने पर लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये जाएंगे।

अतः उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रेषित किए जाने की प्रतीक्षा संप्रेक्षा में रहेगी।

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर में वित्तीय वर्ष 2017–18 में कोषागार मद के लेखा शीर्षक 2406–01–001–05–00 वनों की अग्नि सुरक्षा के मानक मद 20 सहायक अनुदान द्वारा वन पंचायतों को अनुदान के रूप में दी जानी वाली धनराशि का विवरण

क्र0सं0	वन पंचायत का नाम	भुगतान की गयी धनराशि
1	2	3
1	सरपंच वन पंचायत रीठिया	10,000.00
2	सरपंच वन पंचायत मरोड़ा	10,000.00
3	सरपंच वन पंचायत गौल	10,000.00
4	सरपंच वन पंचायत हरगढ़	10,000.00
5	सरपंच वन पंचायत सलियाणा	10,000.00
6	सरपंच वन पंचायत ग्वाड़	10,000.00
7	सरपंच वन पंचायत कमेड़ा	10,000.00
8	सरपंच वन पंचायत पनाई	10,000.00
9	सरपंच वन पंचायत क्वींठी	10,000.00
10	सरपंच वन पंचायत बौंला	10,000.00
11	सरपंच वन पंचायत गोपेश्वर	10,000.00
12	सरपंच वन पंचायत बच्छेर	10,000.00
13	सरपंच वन पंचायत बमियाला	10,000.00
14	सरपंच वन पंचायत तिलफाड़ा	10,000.00
15	सरपंच वन पंचायत दोगडी काण्डई	10,000.00
16	सरपंच वन पंचायत कठूड़	10,000.00
17	सरपंच वन पंचायत पिलंग	10,000.00
18	सरपंच वन पंचायत टंगसा	10,000.00
19	सरपंच वन पंचायत टेडा खनसाल	10,000.00
20	सरपंच वन पंचायत बैण्डू	10,000.00
21	सरपंच वन पंचायत बौंली	10,000.00
22	सरपंच वन पंचायत मासौं	10,000.00
23	सरपंच वन पंचायत मक्कू	10,000.00
24	सरपंच वन पंचायत त्रियुगीनारायण	10,000.00

25	सरपंच वन पंचायत कैलब	10,000.00
26	सरपंच वन पंचायत देवस्थान	10,000.00
27	सरपंच वन पंचायत ऐरास	10,000.00
28	सरपंच वन पंचायत गिरसा	10,000.00
29	सरपंच वन पंचायत सिमलासू	10,000.00
30	सरपंच वन पंचायत देवर	10,000.00
31	सरपंच वन पंचायत कुजासू	10,000.00
32	सरपंच वन पंचायत विशाल	10,000.00
33	वन पंचायत झिरकोटी	10,000.00
34	वन पंचायत नाग काण्डा	10,000.00
1	**2**	**3**
35	वन पंचायत सिरण	10,000.00
36	वन पंचायत गडोना	10,000.00
37	वन पंचायत पैणी	10,000.00
38	वन पंचायत सरणा	10,000.00
39	वन पंचायत उत्तरौं	10,000.00
40	वन पंचायत झिलोटी	10,000.00
41	वन पंचायत सिवाई	10,000.00
42	वन पंचायत जखमाला	10,000.00
43	वन पंचायत नेल सिदेली	10,000.00
44	वन पंचायत श्रीगढ़	10,000.00
45	वन पंचायत मकरोली	10,000.00
योग		**4,50,000.00**

वरिष्ठ प्रशासनिक
अधिकारी
केदारनाथ वनय जीव
प्रभाग, गोपेश्वर।

भाग-दो ब

प्रस्तर-3 वृक्षारोपण पर निष्फल व्यय ₹ 9.53 लाख।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक उत्तराखंड देहरादून के पत्र संख्या 693/37-41 दिनांक 04 जनवरी 2019 द्वारा मुख्य वन संरक्षक,अनुश्रवण मूल्यांकन आई टी एव आधुनिकीकरण उत्तराखंड देहरादून के द्वारा केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के विभिन्न रेंजों की अनुश्रवण एवं मूल्यांकन रिपोर्ट के संबंध में कम सफलता प्रतिशत के संबंध में कारण अवगत कराने हेतु कहा गया है।

जिसके अनुसार प्रभाग में वर्ष 2015-16 में विभिन्न रेंजों में रोपित पौध का शासनादेश संख्या-98/14, प0भू0वि० दिनांक 07.01.1994 के मानको के अनुसार सफलता का प्रतिशत नहीं रहा।

अतः निम्नलिखित विवरण के अनुसार निम्न रेंज में निर्धारित मानक के अनुसार सफलता प्रतिशत नहीं रहा जिससे 953342 का निष्फल व्यय हुआ।

क्रम संख्या	रेंज का नाम	वृक्षारोपण का नाम	योजना का नाम	क्षेत्रफल(हैक्टेयर में)	प्रति हैक्टेयर रोपित पौध	कुल रोपित पौध	मौके पर जीवित पौध	सफलता प्रतिशत/मानक प्रतिशत	मानक से कम जीवित पौध	निष्फल व्यय(कम जीवित पौध ((` में)
1	गोपेश्वर	त्रिशूला क स 20 डी	केम्पा	05	1600	8000	1243	15.53% /48%	**2597**	**2597*90.54= 235132**
2	उखीमठ	मल्ला काली घाट क स 7	केम्पा	10	800	8000	1574	19.67% / 48%	**2266**	**2266*121.37= 275024**
3	लोहवा	हरगड़ व प	कैम्पा	05	500	2500	732	29.28% / 48%	**468**	**468*205.14= 96006**
4	उखीमठ	उखीमठ क स 1 प्लाट **iii**	केम्पा	05	1600	8000	2450	30.62% / 48%	**1390**	**1390*90.54= 125850**
5	घनपुर	रनिगढ़क स 3 अ	बांस एव रेशा	05	1100	5500	1797	32.67% / 48%	**843**	**843*113.97= 96077**
6	घनपुर	घनपुर क स 4 ब	बहूद्दे शिए	10	1100	11000	4181	38% / 48%	**1099**	**1099*113.97= 125253**
										953342

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग ने अवगत कराया की जंगली जानवरो द्वारा क्षति एव अनुरक्षण की राशि की कमी के कारण सफलता प्रतिशत में कमी पायी गयी है तथा संबन्धित वन क्षेत्राधिकारियों से कम सफलता प्रतिशत के संबंध में आख्या मांगी गयी है।

अतः पौध रोपन के पश्चात जंगली जानवरो से बचाव न किए जाने एव अनुरक्षण पर कम व्यय किए जाने के कारण पौध रोपन पर रूपय 9.53 का व्यय निष्फल रहा।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संग्यान में लाया जाता है।

भाग – दो ब

प्रस्तर-4 वन जमा की धनराशि ₹ 3.30 करोड़ का उपयोग न किया जाना।

प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर के वन जमा निक्षेप पंजिका (फार्म–23) एवं लेखा अभिलेखों (जनवरी 2019) की जांच में पाया गया कि विभाग में विभिन्न केम्पा फंड, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, भूमि हस्तांतरण के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि, रायलिटी तथा अन्य मद में `3.30 करोड़ प्राप्त हुए थे।उक्त धनराशि विगत तीन वर्षो से पूर्व की है तथा वर्तमान तक उक्त धनराशि को व्यय न किए जाने के कारण वैध नहीं है।अतः विभाग द्वारा निश्चित समयावधि में धनराशि का प्रयोग करके कार्य पूर्ण नहीं कराया गया था। जिससे की उक्त धन राशि जिस प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराई गयी थी वो प्रयोजन पूर्ण न होने कारण उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पायी। अतः ` 3.30 करोड़ की धनराशि जिन कार्यों के लिए प्राप्त हुई थी उनको संपादित कराये बिना वन निक्षेप के रूप में अवशेष पड़ी हुई है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि वर्तमान में उक्त धनराशि वैध नहीं है जिसे पुनः वैध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संग्यान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर- 5 मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि में नियमानुसार बजट उपलब्ध न कराये जाने के कारण लम्बित भुगतान ₹ 55.84 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना संख्या 2228/X-2-2012-19(37)/2003 दिनांक 10 दिसम्बर 2012 के द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2012 वन्य जीवों द्वारा जान माल को क्षति पहुंचाए जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने एवं इसका त्वरित भुगतान सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से बनाई गयी। नियमावली की मूल भावना यह थी कि वन्य जीवों द्वारा मानव को पहुंचाई जाने वाली जान माल की क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु अनुग्रह राशि का त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि मनुष्य का वन विभाग एवं वन्य जीवों के प्रति आक्रोश रोका जा सके।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि एवं संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि माह जनवरी 2019 के अन्त तक प्रभाग में मानव क्षति के 55 प्रकरणों में से 02 प्रकरण लम्बित थे एवं पशु क्षति के 921 प्रकरणों में से 405 प्रकरण लम्बित थे जिनके सापेक्ष क्रमश: ₹ 30,000/- एवं ₹ 55,54,500/- का भुगतान लेखापरीक्षा तिथि (02/2019) तक नहीं किया गया था।
लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया की बजट की अनुपलब्धता के कारण भुगतान नही किया गया है एवं बजट प्राप्त हेतु शासन से मांग की जा रही है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बजट प्राप्त हेतु शासन से मांग से संबन्धित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः मानव वन्य जीव संघर्ष एवं राहत वितरण निधि मे नियमानुसार बजट उपलब्ध न कराये जाने के कारण ₹ 55.84 लाख के लम्बित भुगतान का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

<u>राजस्व से संबंधित</u> विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
RS/FR-99/2017-18	-	1,2,3	

: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्रीमती नीतू लक्ष्मी	प्रभागीय वनाधिकारी
2	श्री अमित कँवर	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र